

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर
(दूरभाष नम्बर:-0141-2744861 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

क्रमांक :- एफ.4(ई) के-90/2023/अलेसे-III/964

दिनांक :- 01.07.2025

कार्यालय आदेश

श्री खेमराज मीना, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 749051) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 30.04.2025 द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड-प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 06.01.2020 एवं 22.02.2021 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है :-

दिनांक 05.05.2025 से 30.05.2025 तक (कुल 26 दिवस) (अध्ययन हेतु)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री खेमराज मीना, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 749051) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में लाल स्याही से अनिवार्य रूप से अंकित करावें। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में (असाधारण अवकाश अवधि तक) नियमानुसार अभिवृद्धि की जावेगी।



(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई) के-90/2023/अलेसे-III/964

दिनांक :- 01.07.2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. श्री खेमराज मीना, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं. 749051) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
4. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/गोपनीय शाखा।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)